:: <u>न्यायालय, अपर सैशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)</u> ::

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 74/2019

CIS No. : 74/2019

राजस्थान राज्य

बनाम

01. **जुगराज** पुत्र दुलीचंद, निवासी बोरदा, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

02. **पप्पूलाल उर्फ बीरमचंद** पुत्र नन्दा उर्फ नन्दकिशोर, निवासी जैतपुरा, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

.... अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 विकल्पतः 323/34, 325 विकल्पतः 325/34, 326 विकल्पतः 326/34, 307 अथवा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थित</u> -

01. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

02. श्री दुर्गाशंकर गोयल, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक -28.03.2026

घटना की दिनांक	14.06.2019
प्रथम सूचना की दिनांक	15.06.2019
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	06.08.2019
कमिट होकर प्राप्त होने की दिनांक	17.08.2019
आरोप विरचन की दिनांक	07.11.2020
साक्ष्य आरम्भ होने की दिनांक	12.01.2020
निर्णय सुरक्षित करने की दिनांक	--
निर्णय की दिनांक	28.03.2026
दण्डादेश, यदि हो तो दिनांक	28.03.2026

प्रकरण के तथ्य-

1 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.06.2019 को समय 8.30 ए.एम. पर आहत लेखराज ने जैरईलाज सीएचसी मनोहरथाना में एक पर्चा बयान इस आशय का दर्ज कराया कि वह कल दिनांक 14.06.2019 को रात 8 बजे करीब मनोहरथाना से दवाई गोली लेकर मोटरसाईकिल से उसके गांव

तलाईखेड़ा जा रहा था कि रीछड़ी रोड़ के पास जुगराज ने उसके ढ़ाबे के सामने रोड़ पर उसे रोककर गाली देकर कहा कि तेरी मौसी के रूपये निकालकर क्यों लाया, बता पैसे कहा है? यह कहकर जुगराज ने उसके पास के लोहे के छुर्रे की दो चोट उसके सिर में जान से मारने की नीयत से मारी। जुगराज के साथ ढ़ाबे पर काम करने वाले दो व्यक्ति और थे जिन्होंने भी लठ एवं लातों घूंसों से उसके साथ मारपीट की। वह बेहोश होकर नीचे गिर गया तब ये लोग गए। उसे आधा घण्टा बाद होश आया तब वह मोटरसाईकिल लेकर घर पर गया जहां यह सारी बात उसने उसके पिता अमरलाल जी को बताई जो उसे ईलाज करवाने के लिए अस्पताल मनोहरथाना में भर्ती करवाया। मारपीट से उसके सिर, नाक, पीठ पर चोटें आई हैं, इत्यादि।

2 उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना मनोहरथाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/19, धारा 341, 323, 307, 34 भा.द.सं. दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण जुगराज व पप्पूलाल उर्फ बीरमचन्द के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया। जहाँ से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को विचारणार्थ इस न्यायालय को कमिट किया गया।

3 बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण जुगराज व पप्पूलाल उर्फ बीरमचन्द के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323 विकल्पतः 323/34, 325 विकल्पतः 325/34, 326 विकल्पतः 326/34 व 307 अथवा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में 13 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया एवं 20 दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। निर्णय के अंतिम भाग में संलग्न **परिशिष्ट- 'क'** में उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण दिया गया है।

5 अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बताया है और यह अभिकथन किया है कि परिवादी का शराब के नशे में मोटरसाईकिल से फिसलकर पत्थरों के ढ़ेर पर गिर गया और उसने रंजिशवश झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रतिरक्षा में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

6 बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। आहत ने केवल चाकू से दो चोट मारना कहा है। अन्य चोटों के बारे में कोई कथन नहीं किया। आहत के केवल एक धारदार चोट है। वह भी चोट प्रतिवेदन में दाहिनी आंख पर बताई गई है जबकि आहत ने बांयी आंख पर चोट मारना बताया है। चक्षुदर्शी साक्षी मांगीलाल ने आहत का मोटरसाईकिल से फिसलकर गिरना बताया है। चिकित्सक ने भी मोटरसाईकिल से फिसलकर गिरने पर चोटें आने की सम्भावना बताई है। चोट ईलाज के अभाव में प्राणघातक होने की राय केवल अनुमान है। जबकि आहत को समय पर उपचार मिल गया था। अभियुक्त पप्पू द्वारा मारपीट करने का किसी भी साक्षी ने कथन नहीं किया है। चाकू की बरामदगी संदेहजनक है जिसका कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। बरामदगी के गवाहों ने चाकू पर खून लगा होने से इन्कार किया है। एफएसएल की रिपोर्ट में चाकू व कपड़ों पर खून बताया गया है लेकिन वह किस व्यक्ति का है यह साबित नहीं होता। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

7 विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। उन्हें दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

8 सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण के विनिश्चय के लिए न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि-

(1) ‘‘क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.06.2019 को समय रात्रि 8 बजे के लगभग स्थान रीछड़ी रोड़ के पास परिवादी लेखराज को स्वेच्छा जाते हुए को रोककर सदोष अवरोध कारित किया, सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा गम्भीर उपहतियां कारित की व जान से मारने की नीयत से आहत लेखराज के सिर पर छुर्रे से दो चोटें मारी जिससे यदि उक्त हमले में उसकी मृत्यु हो जाती तब अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते?"

(2) ‘‘यदि हां तो उसके लिये उचित दण्ड क्या होगा?"

अभियोजन साक्ष्य का विवरण-

9 आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य में **अभियोजन साक्षी क्रमांक 04 लेखराज** की अभिसाक्ष्य है कि आज से करीब तीन साल पहले की रात के

आठ बजे की रिछड़ी जोड पर ढाबे पर जुगराज व रोटी बनाने वाला तथा एक अन्य जैतपुरा का रहने वाला थे। वह तथा मांगीलाल गोली दवाई लेकर मनोहरथाना से आ रहे थे। मांगीलाल लड़ाई होने पर वहा से भाग गया। उसके साथ जुगराज ने ढाबे के सामने रूपयो के मामले को लेकर मारपीट की थी। जुगराज ने उसके दो तीन थप्पड़ मारे उसके बाद उसके **बायें आंख के उपर चाकू व एक आंख के नीचे चाकू की मारी**। मारपीट मांगीलाल जी ने देखी थी। साक्षी के अनुसार उसके घरवाले हरिराम, जुगराज उसे वहाँ से उठा कार मनोहरथाना अस्पताल में ले गए थे। अस्पताल में पुलिस आई थी। पुलिस को उसने घटना के बारे में बताया था। साक्षी का कथन है कि जब पुलिस बयान लेने आई थी उस समय मुझे होश नहीं था। पर्चा बयान प्रदर्श पी 3 पर एक्स स्थान पर अपना अंगूठा निशानी बताया है। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उसकी खूनआलुदा शर्ट जब्त की थी। फर्द जब्ती शर्ट प्रदर्श पी 2 पर उसकी अंगूठा निशानी अंकित है। उसका डाक्टरी मुआयना व एक्स रे हुआ था। उसने ईलाज के कागजात पुलिस को दिये थे। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी जिसे लेकर वह तथा उसके साथ लोधा समाज का व्यक्ति आ रहे थे। **वह ढ़ाबे पर पानी पीने के लिए रूका था।** इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **उसके साथ वाले व्यक्ति ने ढाबे से एक क्वार्टर शराब खरीदी थी।** साक्षी का कथन है कि उन्होंने शराब नहीं पी उसके पहले ही झगड़ा हो गया था। इस सुझाव को गलत बताया कि वह शराब पीता हो, स्वतः कहा कि वह पहले कभी-कभी शराब पी लेता था किंतु अब नहीं पीता। साक्षी का कथन है कि **उसने प्रदर्श पी-3 पर्चा बयान पुलिस वालों को नहीं दिये क्योंकि वह बेहोश था।** उसे घटना के दूसरे दिन होश आ गया था। साक्षी ने पर्चा बयान प्रदर्श पी-3 का ए से बी भाग पुलिस को लिखवाये जाने से इंकार किया है, (**ए** से **बी** भाग इस प्रकार है- मुझे आधा घण्टा बाद होश आया तब मैं मोटरसाईकिल लेकर घर पर गया जहां यह सारी बात मैंने मेरे पिता अमरलाल जी को बताई थी)। यह स्वीकार किया कि मांगीलाल पुत्र श्रीलाल लोधा पटवा का उसका राखीबंध जीजा लगता है। साक्षी का कथन है कि गवाह लालचंद उसका काका है, जुगराज उसका सगा भाई है, हरिराम उसके काका का लड़का है और अमरलाल उसके पिताजी हैं। साक्षी के अनुसार जिस चाकू से उसके मारी थी उसमें नीले रंग का बांसा लग रहा हो तो उसने कलर नहीं देखा, चाकू हड्डी काटने का था व एक हाथ जितना लम्बा होना बताया है। साक्षी का कथन है कि मेरे बांयी आंख के ऊपर व नीचे दो चोट आई थी। यह स्वीकार किया है कि ढाबे पर बाउंड्री बनाने का काम चल रहा था जहां पर चिंगारी के पत्थर, सीमेंट की ईंटे आदि पड़े हुए थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह मनोहरथाना से शराब के नशे में मोटरसाईकिल चलाकर लाया हो और जुगराज के ढाबे के अन्दर

मोटरसाईकिल घुसाने से वह फिसलकर गिर गया हो जिससे उसके चोटें आई हो। यह स्वीकार किया है कि मांगीलाल उसे मौके पर से उठाकर ईलाज के लिए नहीं ले गया। साक्षी के अनुसार जुगराज व उसके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। आगे कथन किया कि जुगराज के काकी ससुर उसके मौसाजी लगते हैं, उसके पैसों की चोरी हो गई थी व जुगराज ने रूपये निकालने का आरोप उसके ऊपर लगाया था और वह यह आरोप जुगराज पर लगा रहा था जिसके कारण यह झगड़ा हुआ था। जुगराज ने उसकी आंख के ऊपर चाकू घोंप दिया था। इस सुझाव को गलत बताया कि रंजिशवश उसने जुगराज के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया हो। साक्षी ने स्वीकार किया कि **जुगराज के अलावा उसके साथ अन्य किसी ने मारपीट नहीं की**।

10 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 06 मांगीलाल** की अभिसाक्ष्य है कि करीब दो तीन साल पहले शाम 8 बजे वह मनोहरथाना से उसकी मोटरसाईकिल पर उसके गांव पटवा जा रहा था। लेखराज ने शराब पी रखी थी तथा वह शराब के नशे में जुगराज के ढ़ाबे के सामने पत्थरों व ईंटों व तारों पर मोटरसाईकिल पर फिसलकर गिर गया था। उसने जाकर उसे उठाया था। उसने लेखराज के गांव में सूचना दी थी। फिर वह लेखराज को उठाकर उसके घर ले गया था। वे दोनों आगे-पीछे ही थे। उसके सिर में पत्थरों पर मोटरसाईकिल से गिरने से चोट आ गई थी। मौके पर जुगराज व पप्पू दोनों लेखराज के पास नहीं थे न ही उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जुगराज व पप्पू को वह नहीं जानता। गवाह को पक्षद्रोही घोषित कराए जाने के उपरांत अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का ए से बी भाग लिखाए जाने से इन्कार किया है।

11 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 12 डॉ. लविश पाटीदार** की अभिसाक्ष्य है कि दिनाक 14.06.2019 को सीएचसी मनोहरथाना में चिकित्सक के पद पर रहते हुए पुलिस प्रतिवेदन पर आहत लेखराज का मेडिकल परीक्षण किया था जो निम्न प्रकार है:-

चोट सं. 1 सूजन 2 गुणा 2 सेमी सिर में पीछे की तरफ

चोट सं. 2 कटा हुआ घाव 3 गुणा 0.5 सेमी दायी आंख के उपर की तरफ

चोट सं. 3 सूजन 3 गुणा 2 सेमी दाहिनी आंख के नीचे की तरफ

चोट सं. 4 खरोंच 2 गुणा 1.5 सेमी नाक पर

चोट सं. 5 सूजन 2 गुणा 1 सेमी दाहिने पैर के टखने पर

आहत की चोट सं. 1, 3, 4, 5 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट सं. 2 व 3 के लिये एक्सरे की सलाह दी गई। बाद एक्सरे चोट सं. 2 व 3 में फ्रेक्चर पाया गया जो गम्भीर प्रकृति की थी। उक्त समस्त चोटें चौबीस घण्टे के भीतर की थी। चोट

सं. 2 धारदार हथियार से कारित थी तथा शेष समस्त चोट कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-19 है जिस पर ए से ची उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी राय अंकित है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी-20 है जिस पर ए, से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि परीक्षित व्यक्ति लेखराज मोटरसाईकिल से स्लिप होकर धारदार पत्थरों पर गिर जाए तो चोट सं. 2 आना सम्भव है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि चोट सं. 1, 3, 4 व 5 मुंह की तरफ से पत्थरों पर गिरेन से आना सम्भव है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि चोट सं. 2 जीवन के प्राणघातक नहीं थी।

12 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 01 लालचन्द** की अभिसाक्ष्य है कि दो तीन साल पहले पुलिस सुबह के समय हथाईखेड़ा जुगराज के लड़ाई झगड़े के मामले में आई थी। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि वह लेखराज के पिता अमरलाल का बड़ा भाई व लेखराज का बड़ा पापा लगता है। साक्षी का कथन है कि घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था। **लेखराज पानी पीने के लिए ढाबे पर गया था।** नक्शा मौका पुलिस वालों ने जुगराज के ढाबे का बनाया था। साक्षी का कथन है कि पुलिस ने घर पर आकर नक्शा मौका बनाये जाने व उसके हस्ताक्षर घर पर करवाये जाने का कथन किया है।

13 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 02 जुगराज** ने पुलिस द्वारा जुगराज के ढाबा का नक्शा बनाया जाना कहा है व नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर बताये हैं। पुलिस द्वारा हरिराम से खूनआलुदा शर्ट जब्त करने का कथन किया है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताये हैं। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि हरिराम उसका काका लालचंद का लड़का है। पुलिस द्वारा शर्ट व बनियान थाने पर जप्त किया जाना बताया है। साक्षी का कथन है कि पुलिस ने नक्शा मौका घटना के 2-3 दिन बाद शाम के 6-7 बजे बनाया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उस समय मुल्जिम जुगराज के ढाबा के बाउंड्री का काम चल रहा था जहां पर पतथर की चिंगारी, लोहे के तार, गिट्टियां तथा सीमेंट की ईंटे आदि पड़ी हुई थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 उनके गांव हथाईखेड़ा पर तैयार करके उसके व उसके काका के हस्ताक्षर करवाये जाने का कथन किया है। इस सुझाव को गलत बताया कि उसके भाई लेखराज ने घर पर आकर यह बताया हो कि वह मोटरसाईकिल से फिसलकर गिर गया हो जिससे उसके चोटें आई हो।

14 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 03 हरिराम** के अनुसार 2019 में सुबह के 11-12 बजे पुलिस ने उसके सामने खूनआलुदा शर्ट व बनियान जब्त की थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में इस

सुझाव को स्वीकार किया कि वह लेखराज के भाई का लड़का है। साक्षी का कथन है कि पुलिस ने बनिया व शर्ट की जप्ती घटना के तीन दिन बाद में की थी व जप्ती प्रदर्श पी-2 उनके गांव हथाईखेड़ा में बनाई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि जुगराज के ढाबे पर ईंट, भाटे आदि पड़े हुए थे।

15 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 07 अमरलाल** आहत लेखराज का पिता है जिसने कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पुलिस ने नक्शा मौका जुगराज के ढाबे के अन्दर का बनाया था व पुलिस ने जब घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया तब वहां पर भाटे-पत्थर व तार आदि पड़े हुए थे।

16 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 05 जगदीश** कानि के अनुसार अभियुक्त जुगराज से हरनावदा रोड़ पर बने ढाबा से छुर्रा बरामद कर जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 है एवं बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 5 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि यह उसे आज याद नहीं है कि जुगराज की गिरफ्तारी के कितने दिन बाद में उससे छुर्रा बरामद किया। इस सुझाव को स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल तालाबंद नहीं था व ढाबे पर आम लोग आते जाते रहते हैं। साक्षी का कथन है कि ढाबे के अन्दर कमरा बना हुआ था जिसके उत्तर दिशा के कोने से छुर्रा जप्त किया जाना बताया है। साक्षी का कथन है कि **छुर्रे पर खून लगा हुआ नहीं था, उस पर जंग आ रखी थी**। छुर्रे का हत्था लोहे का था जिस पर कोई कलर नहीं था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि ढाबे पर सब्जी वगैरह काटने के लिए चाकू, छुर्रे आदि रखते हैं। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि ऐसी कोई फर्द नहीं बनाई जिसमें स्वतंत्र गवाह को ढूंढने गए हो और स्वतंत्र गवाह नहीं मिला हो। साक्षी का कथन है कि यह उसे आज याद नहीं है कि ढाबे के अन्दर कमरे के बाहर ताला लगा हुआ हो। जिस कमरे से छुर्रा बरामद किया था उस कमरे का दरवाजा किस दिशा में खुलता है यह उसे याद नहीं है।

17 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 09 मुकेश कुमार** कानि ने अभियुक्तगण जुगराज व पप्पू को अनुसंधान अधिकारी द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श 10 व 11 गिरफ्तार करना बताया है। साक्षी के अनुसार दिनांक 23.07.2019 को अभियुक्त जुगराज की सूचना के आधार पर उसके ढाबे पर गये थे जहां से मुलजिम ने धारदार छुर्रा निकालकर एसआई साहब को दिया था। जिसकी जब्ती प्रदर्श पी 04 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जब्ती स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि ढाबा पर सब्जी वगैरह काटने के लिए बड़े चाकू रखते हैं। जप्तशुदा चाकू का बांसा

लकड़ी का था या लोहे का ध्यान नहीं होना बताया है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि जप्तशुदा चाकू पर खून लगा हुआ नहीं था। साक्षी का कथन है कि जप्ती के समय स्वतंत्र गवाह बुलाये थे किन्तु कोई गवाह नहीं मिला। साक्षी का यह भी कथन है कि चाकू जिस जगह रखा हुआ था उसका दरवाजा पश्चिम दिशा में खुलता है।

18 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 13 यदुवीर सिंह** की अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 25 07.19 को पुलिस थाना मनोहरथाना में हेड कांस्टेबल व मालखाना इंचार्ज होने से उसने प्रकरण में जप्तशुदा माल मार्क ए बी को लेखराज कानि. को संभलाए जिसने एफएसएल रसीद सं. 48 दिनांक 26.03.19 को लाकर दी जो प्रदर्श पी-9ए है। थाना का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-8 व मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी-17 है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसने जो सेम्पल लिये उसके दस्तखत मालखाना रजिस्टर पर नहीं करवाए गए, माल जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं करवाते हैं। मालखाना रजिस्टर पर माल पर जो मोहर लगी हुई उसे आज पता नही है।

19 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 08 लेखराज** की अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 25.07. 2019 को थाना मनोहरथाना पर कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 245/19 धारा 341, 323, 325, 326, 307 भादस में सील्डशुदा पैकेट ए व बी मालखाना इंचार्ज यदुवीर सिंह ने वास्ते एफएसएल कोटा में जमा कराने हेतु मुझे संभलाये थे। जिन्हें लेकर वहं एसपी कार्यालय में मय अग्रेषण पत्र के गया था जहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर दिनांक 26.07.2019 को एफएसएल कोटा में जमा करवाकर रसीद कमांक 148 प्राप्त की थी। उसी दिन एसपी कार्यालय आकर अग्रेषण पत्र प्राप्त कर थाना मनोहरथाना पहुंचा जहां पर मालखाना इंचार्ज को रसीद व अग्रेषण पत्र सभलाया था। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 7 है एवं एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रसीद प्रदर्श पी 9 है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि माल उसने थाने से सुबह 10 बजे दिनांक 25.07.2019 को प्राप्त किया था। साक्षी का कथन है कि उसे माल ले जाने बाबत मालखाना रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करवाए थे।

20 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 10 रूपसिंह** की अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 15.06 2019 को थाना मनोहरथाना में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन 22447 सीएचसी मनोहरथाना में जेर ईलाज भर्ती मजरूब लेखराज मीणा के पर्चा बयान उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। पर्चा बयान से मामला धारा 341,323,307/34 भा.द.स. का बनना पाये जाने पर वापसी थाने पर आकर इन्चार्ज थानाधिकारी होने के नाते मुकदमा नं. 245/2019 धारा 341, 323,

307/34 भा.द.स. में दर्ज कर पत्रावली अनुसंधान हेतु लालसिंह एएसआई को सुपुर्द की थी। पर्चा बयान प्रदर्श पी 02 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर व ई से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान पत्रावली मेरे समक्ष पेश हुयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुलजिम पप्पूलाल उर्फ वीरमचन्द तथा जुगराज के विरूद्ध धारा 341.323. 325.326.307/34 मा.द.स में बाद कता चार्जशीट आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने मजरूब लेखराज के पर्चा बयान लिये उस समय उसके परिजन वहां मौजूद थे या नहीं उसे ध्यान नहीं है। लेखरज बयान देने की स्थिति में था या नहीं इस बाबत डॉक्टर से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मजरूब लेखराज ने अपने बयान में दवाई-गोली लेकर मोटरसाईकिल से अपने गांव आना बताया है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि लेखराज ने अपने बयान में यह भी बताया था कि ढाबे पर काम करने वाले दो व्यक्ति और थे जिन्होंने भी उसके साथ लठ और लातों से मारपीट की और यह भी बताया था कि वह घटना स्थल से मोटरसाईकिल को चलाकर अपने घर गया और अपने पिताजी को घटना वाली बात बताई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि लेखराज ने अपने बयान में घटना के समय उसके पास किसी व्यक्ति का होना या घटना देखने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होना बताया था। इस सुझाव को गलत बताया कि लेखराज ने पर्चा बयान लेते समय यह बताया हो कि उसकी मोटरसाईकिल स्लिप खाकर गिर गई हो और वह पत्थरों पर गिर गया हो जिससे उसके चोटें आई हो।

21 **अभियोजन साक्षी क्रमांक 11 लालसिंह** की अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 15 06.2019 को थाना मनोहरथाना में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन रूपसिंह जी एएसआई, इन्चार्ज थानाधिकारी ने मजरूब लेखराज के पर्चाबयान पर मुकदमा नंबर 245/2019 धारा 341,323, 307/34 भा.द.स. में दर्ज कर पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे दी थी। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से वी थानाधिकारी रूपसिंह के हस्ताक्षर है जिन्हें मैं पहच निता हूं। दौराने अनुसंधान उसने बयान लेखराज, अमरलाल, लेखराज पुत्र कालूलाल, यधुवीर हेड कानि, गवाह मांगीलाल के उनके कहेअनुसार लेखबद्ध किये। रूबरू गवाहान घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। लेखराज के पेश करने पर एक खूनआलूदा कपड़े बनियान व शर्ट जरिये फर्द प्रदर्श पी 02 जब्त किये जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील चस्पा है। मजरूब लेखराज का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जाकर चोट प्रतिवेदन व एक्स-रे

रिपोर्ट शामिल पत्रावली किये। मजरूब लेखराज के गंभीर चोटें होने से धारा 325,326 भा.द.स. जोड़ी गयी। चोटों के बावत् डॉक्टर साहब से राय मांगी गयी थी इस बाबत् प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी भाग में डॉ० की राय है जिसमें उन्होंने चोट का प्राणघातक होना बताया था। अभियुक्त जुगराज व पप्पूलाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी 10 व पी 11 से गिरफ्तार किया जिन पर प्रत्येक पर सी से डी उसके वई से एफ मुलजिमान के हस्ताक्षर है। दौरान हिरासत अभियुक्त जुगराज ने मुझे स्वेच्छापूर्वक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि जो छूरा उसने लड़ाई-झगड़े में काम में लिया था वह मेरे ढाबे के कोने में रखा है जिसे बरामद करा सकता है। सूचना प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके तथा सी से डी जुगराज के हस्ताक्षर हैं। जुगराज की सूचना पर एक धारदार छूरा उसके ढाबे से जरिये फर्द प्रदर्श पी 04 से उसकी निशादेही से जब्त किया था जिसकी जब्ती प्रदर्श पी 04 पर ई से एफ उसके, जी से एच जुगराज के हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील चस्पा है। बरामदगी स्थल का नवशा मौका प्रदर्श पी 05 है जिस पर ई से एफ उसके, जी से एच जुगराज के हस्ताक्षर है। जब्तशुदा माल एफएसएल जांच हेतु भेजा था जिसका अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 07 व पी 08 है। एफएसएल जमा रसीद प्रदर्श पी 09 है जिसे शामिल पत्रावली किया। रोजनामचा आम की नकल रपटें प्रदर्श पी 15 व 16 है जिन पर ए से बी प्रमाणितकर्ता के रूप में उसके हस्ताक्षर हैं। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्रदर्श पी 17 शामिल पत्रावली की। एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 है। उसने संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण जुगराज व पप्पूलाल के विरूद्ध धारा 341,323,325,326,307,34 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाया था। बाद अनुसंधान पत्रावली रूपसिंह जी एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी थी जिन्होंने बाद कता चार्जशीट आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 में मांगीलाल का मजरूब लेखराज के साथ मनोहरथाना से साथ आना लिखा हुआ नहीं है बल्कि उसने मांगीलाल का उसके साथ पीछे-पीछे जाना बताया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि लेखराज ने अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 में ढाबे पर पानी पीने जाना और शराब की क्वार्टर ढाबे से लेना भी नहीं बताया। इस सुझाव को गलत बताया कि तफ्तीश के दौरान उसे यह जानकारी हो गई हो कि लेखराज शराब के नशे में अपनी मोटरसाईकिल चलाकर अपने गांव जा रहा हो और ढाबे के सामने बाउंड्री का काम चल रहा हो और वह मोटरसाईकिल से फिसल जाने के कारण चिंगारी के पत्थरों पर गिर गया हो जिससे उसके चोटें आई हो। साक्षी का कथन है कि चोट प्रतिवेदन में लेखराज की चोटों के बारे में गम्भीर प्रकृति की होना ही लिखा है, स्वतः कहा कि प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी-13 पर लिखा है जो आहत लेखराज के ठीक

होने के 10 दिन बाद दिया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि छुर्रा बरामदगी के कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि छुर्रा बरामदगी के लिए जब वे ढाबे पर पहुंचे तब वहां कोई नहीं मिला। साक्षी का कथन है कि जिस कमरे से बरामदगी की थी उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। साक्षी का आगे कथन है कि लेखराज के ब्लड ग्रुप की जांच उसके द्वारा नहीं करवाई गठ थी।

साक्ष्य की विवेचना-

22 अभियोजन कथा के अनुसार आहत लेखराज अपनी मोटरसाईकिल पर गांव जा रहा था, रास्ता में अभियुक्त जुगराज के ढाबा के सामने अभियुक्तगण जुगराज व पप्पू उर्फ बीरमचंद ने आहत को रोक कर उसके साथ मारपीट की। इस घटना के समय चक्षुदर्शी साक्षी मांगीलाल उपस्थित था।

23 पर्चा बयान प्रदर्श पी 3 के अनुसार अभियुक्त जुगराज ने उसके ढाबा के सामने आहत लेखराज को रोक लिया था और उसे गाली दी व छुर्रे से सिर में दो चोटें जान से मारने की नियत से मारी। न्यायालय के समक्ष उक्त लेखराज ने कथन किया है कि वह ढाबा पर पानी पीने के लिए रूका था और उसके साथ वाले व्यक्ति ने ढाबा से शराब का एक क्वार्टर खरीदा था। उनके शराब पीने से पहले ही झगड़ा हो गया था।

24 आहत के पर्चाबयान में सिर पर छुर्रे से चोट मारना अंकित है। न्यायालय के समक्ष आहत लेखराज की साक्ष्य है कि जुगराज ने उसके दो तीन थप्पड़ मारे इसके बाद उसकी **बांई आंख के ऊपर चाकू से व आंख के निचे चाकू से मारी**। यह मारपीट मांगीलाल ने देखी थी। जबकि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 19 में आहत लेखराज के **दाहिनी आंख** के ऊपरी हिस्से पर एक धारदार हथियार की चोट होना अंकित है तथा **दाहिनी आंख** के नीचे, सिर के पिछे के भाग पर व टखने पर कुन्द हथियार की चोट होना अंकित है। चक्षुदर्शी साक्षी मांगीलाल ने उक्त लेखराज के साथ किसी प्रकार की मारपीट से इंकार किया है, बल्कि इस साक्षी के अनुसार लेखराज मोटरसाईकिल से फिसल कर गिरा था। इस प्रकार आहत के किसी विशिष्ट अंग पर चोट कारित की गई और चोट छुर्रे/चाकू से कारित की गई अथवा किसी ब्लंट हथियार से कारित की गई इस संबंध में साक्ष्य स्पष्ट नहीं है।

25 इसी क्रम में आहत की चोट प्राणघातक प्रकृति की होने के संदर्भ में मामले के तथ्यों पर विचार किया जाए तो चिकित्सक द्वारा चोट प्रतिवेदन में यह राय नहीं दी गई थी कि आहत की कोई चोट जीवन के लिए घातक हो। परीक्षण के 11 दिन पश्चात दिनांक 25.06.2019 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्र प्रदर्श

पी-13 के माध्यम से चिकित्सक से यह सशर्त राय मांगी गई है कि लेखराज के दाहिने मेक्सीलरी भाग पर आई चोट का समय पर ईलाज नहीं होता तो यह चोट प्राणघातक हो सकती थी या नहीं और चिकित्सक द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि यदि मरीज को समय पर उपचार के लिए नहीं ले जाया जाए तो चोट जीवन के लिए घातक हो सकती है। जबकि न्यायालय के समक्ष चिकित्सक साक्षी डॉ. लविश चोटों के प्राणघातक होने के बारे में दी गई अतिरिक्त राय के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। लेकिन प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि चोट सं. 2 जीवन के लिए प्राणघातक नहीं थी। इस प्रकार आहत की विशिष्ट चोट प्राणघातक रही हो यह तथ्य साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है और चिकित्सक की राय भी केवल अनुमानित सम्भावनाओं पर आधारित होना प्रतीत होती है।

26 अभियुक्त की ओर से यह अभिकथन किया गया है कि आहत शराब के नशे में मोटरसाईकिल से फिसलकर पत्थरों पर गिरकर चोटग्रस्त हुआ था और अभियुक्त के साथ वैमनस्यता के कारण उसके विरूद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में पर्चा बयान/प्रथम सूचना रिपोर्ट में झगड़े का कारण यह बताया गया है कि अभियुक्त ने आहत को यह कहा कि वह अपनी मौसी के रूपये निकालकर क्यों लाया। साक्ष्य में प्रकट हुआ है कि अभियुक्त जुगराज अभियोगी लेखराज के मौसा का साडू है। न्यायालय के समक्ष अभियोगी लेखराज का कथन है कि उसके मौसाजी के पैसे चोरी हो गए थे और जुगराज ने रूपये निकालने का मेरे ऊपर आरोप लगाया और मैं यह आरोप जुगराज पर लगा रहा था। इस कारण यह झगड़ा हुआ। वैमनस्यता के इस अभिकथन के दृष्टिगत अभियुक्त की प्रतिरक्षा के संदर्भ में मामले के तथ्यों को देखा जाए तो स्वीकृत रूप से अभियोजन साक्षी क्रमांक 6 मांगीलाल घटना के समय अभियोगी के साथ मौजूद था, जो स्वयं अभियोगी लेखराज ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है और यह भी कथन किया है कि साक्षी मांगीलाल पुत्र श्रीलाल लोधा उसका राखीबंध जीजा लगता है। अनुसंधान के दौरान भी उक्त मांगीलाल को घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में मांगीलाल मामले का अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी है। साक्षी मांगीलाल ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि लेखराज शराब के नशे में था जो जुगराज के ढाबे के सामने पत्थर, ईंट व तारों पर मोटरसाईकिल से फिसलकर गिर गया। उसके सिर में मोटरसाईकिल से पत्थरों पर गिरने के कारण चोट लगी थी। जुगराज व पप्पू द्वारा लेखराज के साथ मारपीट करने के कथन से इस साक्षी ने इन्कार किया है। इस प्रकार अभियोजन के साक्षी ने अभियुक्त की प्रतिरक्षा का समर्थन किया है।

27 स्वयं आहत को अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि वह शराब के नशे में मोटरसाईकिल चलाते हुए फिसलकर गिरा हो।

आहत ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है, लेकिन उसका यह अवश्य कथन है कि उसके साथी ने ढाबे से एक क्वार्टर शराब खरीदी थी, परन्तु झगड़ा शराब पीने से पहले होना बताया है। अभियोजन के अन्य साक्षियों को भी अभियुक्त पक्ष द्वारा इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं जो उन्होंने स्वीकार नहीं किये। लेकिन चिकित्सक साक्षी डॉ. लविश ने यह स्वीकार किया है कि यदि आहत लेखराज मोटरसाईकिल से स्लिप होकर धारदार पत्थरों पर गिर जाए तो चोट सं. 2 आना सम्भव है और चोट सं. 1, 3, 4, व 5 मुंह की तरफ से पत्थरों पर गिरने से आने की सम्भावना हो सकती है।

28 प्रकरण में आहत लेखराज की एक बनियान, शर्ट व अभियुक्त जुगराज से बरामद करना बताया गया एक चाकू जांच के लिए एफएसएल भिजवाना दर्शाया गया है। इस संबंध में एफएसएल की रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 के अनुसार उक्त बनियान, शर्ट और छुर्रा पर मानव रक्त पाए गए हैं जिनमें छुर्रा पर ए ग्रुप का रक्त होना तथा अन्य आर्टिकल्स पर रक्त ग्रुप अनिर्णित पाया गया है। इस संबंध में साक्ष्य से प्रकट होता है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी-2 के अनुसार आहत की बनियान और शर्ट हरिराम द्वारा अनुसंधान अधिकारी को पेश किए गए थे। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-4 के अनुसार अभियुक्त जुगराज की निशादेही से एक छुर्रा बरामद करना बताया गया है जिस पर रक्त लगे होने का कोई उल्लेख नहीं है और उसे जंग लगा हुआ बताया गया है। न्यायालय के समक्ष इस जप्ती कार्यवाही के साक्षी क्रमांक 5 जगदीश कानि. व साक्षी क्रमांक 9 मुकेश कुमार कानि. तथा साक्षी क्रमांक 11 लालसिंह अनुसंधान अधिकारी ने उक्त छुर्रे पर रक्त लगा होने का कोई कथन नहीं किया है अपितु साक्षी जगदीश का कथन है कि छुर्रे पर रक्त लगा हुआ नहीं था। फर्द जप्ती में भी छुर्रे पर रक्त के निशान होना नहीं दर्शाया गया है। इस विरोधाभास का साक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके उपरांत भी उक्त आर्टिकल्स पर पाया गया मानव रक्त विशिष्ट रूप से आहत का ही रहा हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है।

29 इस प्रकार यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियोगी लेखराज ने अपने पर्चा बयान के महत्वपूर्ण तथ्यों से विरोधाभासी कथन किये हैं और पर्चा बयान के बारे में उसका कहना है कि वह उस समय होश में नहीं था। आहत के चोट प्रतिवेदन में उसकी दाहिनी आंख के ऊपर के भाग पर एक धारदार चोट है। लेकिन आहत ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि उसके बांयी आंख के ऊपर व एक चोट आंख के नीचे चाकू से मारी गई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में पुनः इस तथ्य की पुष्टि की है कि चोट बांयी आंख के ऊपर व नीचे मारी गई थी। अपने सिर में पीछे के हिस्से व टखने पर आई चोट के बारे में साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है। आहत की साक्ष्य चिकित्सीय दस्तावेजों से विरोधाभासी है।

अभियोजन कथा के अनुसार अभियुक्त जुगराज और पप्पू उर्फ बीरमचन्द ने आहत के साथ मारपीट की थी। पर्चा बयान में अभियोगी का कथन है कि उसके साथ जुगराज व दो अन्य कुल तीन व्यक्तियों ने मारपीट की थी। लेकिन अनुसंधान में दो अभियुक्तगण जुगराज, पप्पू उर्फ बीरमचन्द की लिप्तता पाई गई। जबकि न्यायालय के समक्ष अभियोगी लेखराज का कथन है कि जुगराज के अलावा उसके साथ किसी ने मारपीट नहीं की। अभियोगी ने घटना के समय अपने साथ अपने पुत्र व साक्षी मांगीलाल की उपस्थिति बताई है लेकिन मांगीलाल ने अभियोगी के कथनों का समर्थन नहीं किया और चोटें मोटरसाईकिल से फिसलकर गिरने के कारण आना बताया है। अभियोगी के पुत्र को अनुसंधान के दौरान परीक्षित नहीं किया गया है। न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष का दायित्य है कि मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे किन्तु प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। इसलिए अभियुक्तगण जुगराज व पप्पूलाल उर्फ बीरमचन्द आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

30 परिणामतः अभियुक्तगण **जुगराज** पुत्र दुलीचंद, निवासी बोरदा, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.) व **पप्पूलाल उर्फ बीरमचंद** पुत्र नन्दा उर्फ नन्दकिशोर, निवासी जैतपुरा, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.) को अपराध **धारा 341, 323 विकल्पतः 323/34, 325 विकल्पतः 325/34, 326 विकल्पतः 326/34 व 307 अथवा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

31 प्रकरण में जप्तशुदा माल छुर्रा, शर्ट, बनिया आदि बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिये जावें।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला, झालावाड़(राज.)

32 यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया व खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

संलग्नः- परिशिष्ट **'क'**

अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची -

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01 लालचंद	नक्शा मौका
02 जुगराज	नक्शा मौका, फर्द जप्ती
03 हरिराम	फर्द जप्ती
04 लेखराज	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना
05 जगदीश	फर्द बरामदगी छुर्रा व बरामदगी स्थल का नक्शा
06 मांगीलाल	घटना के बारे में कहना
07 अमरलाल	नक्शा मौका
08 लेखराज	मालखाना इंचार्ज
09 मुकेश कुमार	फर्द गिरफ्तारी, बरामदगी छुर्रा व बरामदगी स्थल का नक्शा
10 रूपसिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना व आरोप पत्र प्रस्तुत करना
11 लालसिंह	अनुसंधान अधिकारी
12 डॉ. लविश पाटीदार	चिकित्सीय परीक्षण करना
13 यदुवीरसिंह	माल एफएसएल जमा कराना

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात की सूची-

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेज का विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श पी 1	नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 1, 2, 7, 11
प्रदर्श पी 2	फर्द जप्ती खून आलूदा कपड़े	साक्षी क्रमांक 2, 3, 4, 5, 9, 11
प्रदर्श पी 3	पर्चा बयान	साक्षी क्रमांक 4, 10
प्रदर्श पी 4	फर्द जप्ती छुर्रा	साक्षी क्रमांक 5, 9, 11
प्रदर्श पी 5	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 5, 9, 11
प्रदर्श पी 6	बयान गवाह मांगीलाल धारा 161 दप्रसं	साक्षी क्रमांक 6
प्रदर्श पी 7	माल एफएसएल जमा कराने बाबत थाना मनोहरथाना का पत्र	साक्षी क्रमांक 8, 11
प्रदर्श पी 8	पुलिस अधीक्षक झालावाड़ का अग्रेषण पत्र	साक्षी क्रमांक 8, 11, 13
प्रदर्श पी 9	प्राप्ति रसीद	साक्षी क्रमांक 8, 11
प्रदर्श पी 10	फर्द गिरफ्तारी जुगराज	साक्षी क्रमांक 9, 11
प्रदर्श पी 11	फर्द गिरफ्तारी पप्पूलाल	साक्षी क्रमांक 9, 11

प्रदर्श पी 12	चाक एफआईआर	साक्षी क्रमांक 10
प्रदर्श पी 13	आहत की चोट के संबंध में राय प्राप्त करने बाबत थानाधिकारी का पत्र	साक्षी क्रमांक 11
प्रदर्श पी 14	अभियुक्त जुगराज की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना	साक्षी क्रमांक 11
प्रदर्श पी 15, 16	रोजनामचा रपट	साक्षी क्रमांक 11
प्रदर्श पी 17	मालखाना रजिस्टर	साक्षी क्रमांक 11, 13
प्रदर्श पी 18	एफएसएल रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 11
प्रदर्श पी 19	आहत लेखराज का चोट प्रतिवेदन	साक्षी क्रमांक 20
प्रदर्श पी 20	आहत लेखराज का एक्स-रे कवरनोट	साक्षी क्रमांक 20

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।